विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सैंतीसवीं (37वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 15 दिसंबर, 2009 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 570 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 346 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1,30,341 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 4,18,129 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान, एसईजेड से कुल 89,750.75 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है।

मद संख्या 37.1 एवं 37.2 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम बपरोला, दिल्ली में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक iii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बपरोला, दिल्ली में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम बपरोला, दिल्ली में 16.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक iv) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कालमसेरी, कोच्चि, केरल में 16.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्लूस्टार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम नेल्लीकोड, कोझीकोड, केरल में 10.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उड़ालुंगल लेबर कंट्रैक्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (यूएलसीसीएस) का अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक v) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नेल्लीकोड, कोझीकोड, केरल में 10.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उड़ालुंगल लेबर कंट्रैक्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (यूएलसीसीएस) के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एवं हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एंपायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईआईएल) का अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक vii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एवं हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एंपायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. रामदासपुर, जिला कटक, उड़ीसा में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर पीवी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 37.2 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और रामदासपुर, जिला कटक, उड़ीसा में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोलर पीवी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

6. ग्राम शाहबाएज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 11.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेरीटास इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 37.2 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और ग्राम शाहबाएज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 11.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेरीटास इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. डाकघर रेड़ी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रेड़ी पोर्ट लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने डाकघर रेड़ी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रेड़ी पोर्ट लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि पोर्ट प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

2. टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 197 के क्षेत्रफल में मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है जो तीन खंडों में प्रतीत होती है तथा संस्पर्शी नहीं है। नोट किया गया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 197 के क्षेत्रफल में मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. मंजापरा, एर्नाकुलम जिला, केरल में 13.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मलयाली रियल्टर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक i) :

नोट किया गया कि भूमि दस्तावेज विकासक के नाम में नहीं हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि विकासक एसईजेड अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों का पालन कर सके।

2. ग्राम सुवाली एवं मोरा, तालुक चोरयासी, जिला सूरत, गुजरात में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 37.1 - क्रमांक viii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने वर्तमान प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) कुर्शनूर, नादेड़, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे फर्मा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एमआईडीसी फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया कि करार का अनुशीलन करने के बाद नोट किया गया कि करार में ऐसे उपबंध हैं जो बिक्री का द्योतक हैं जिसमें स्वामित्व का अंतरण करने, न कि पट्टा पर देने की परिकल्पना है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसरण में फिर से सह विकासक करार तैयार करे।

(iii) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सांख्य टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

इन दोनों मामलों में नोट किया गया कि करार में ऐसे उपबंध हैं जो भूमि को पट्टा पर देने के बजाय भूमि की बिक्री के समान हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसरण में फिर से सह विकासक करार तैयार करे।

(v) पुथव्यपीन, केरल में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए गए पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि विकासक द्वारा सह विकासक करार प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(vi) ग्राम मुसलगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मुसलगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) ग्राम हूडी, के आर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हूडी, के आर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 1.3658 हेक्टेयर के विकास के लिए उक्त एसईजेड में मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) अटिप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंडिया का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अटिप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 2.4767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए उक्त एसईजेड में मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंडिया के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) प्लाट नंबर सी-001, सेक्टर 67, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 5 नवंबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएसई इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(ii) अतिरिक्त लातूर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हेतु 2 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(iv) कागल हाट, कनगाले, कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(v) अतिरिक्त यवतमाल, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 21 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(vi) क्रुशनूर, नादेड़ जिला, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(vii) नंदगांव पेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए 2 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(viii) शेंद्री, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(ix) बुटिबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम

(x) छरोडी एवं तारागढ़ गांव, तालुक दसक्रोई एवं सिटी, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 19 दिसंबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(xi) मणिकोंडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड

(xii) शिकोहपुर गांव, सोहना तहसील, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रानिक्स / आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 6 अप्रैल, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) कलिंग नगर, उड़ीसा में स्टेनलेस स्टील तथा सहायक / डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड

(xiv) चांजे गांव, उरान तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के लिए 30 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स करांजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(xv) विलंकुरिचि, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 15 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड

(xvi) नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 25 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हेटेरो इनफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड लिमिटेड

मद संख्या 37.5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तदनुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में कैप्टिव सुविधा के रूप में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	गैस जेनरेशन सेट का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन	विकासक 4 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल में प्रकाश के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके 4x12 मेगावाट के पावर प्लांट स्थापित करना चाहता है।	2 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल में प्रकाश के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके 2x12 मेगावाट के पावर प्लांट
2.	चिल्ड वाटर का प्रयोग करके एयरकंडिशनिंग	विद्युत उत्पादन संयंत्र से एग्जास्ट गैस का प्रयोग 4 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल की एयरकंडिशनिंग के लिए चिलिंग वाटर के	एग्जास्ट गैस का प्रयोग 2 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल की एयरकंडिशनिंग के लिए चिलिंग वाटर के लिए के

		लिए के लिए किया जाएगा।	लिए किया जाएगा।

(ii) सोहना तहसील, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएसआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया कि विकासक ने एसईजेड को सीमांकित नहीं किया है तथा कोई डिफाल्ट प्रचालन भी नहीं शुरू किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान प्रस्ताव 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालन के कार्यान्वयन के लिए है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि सह विकासक मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन को उन्हीं अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की जाए जो विकासक के लिए मंजूर की गई थी। विकासक के संबंध में जारी किए गए अनुमोदन को वापस लिया जाएगा और निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के लिए मंजूरी प्रदान की जाए।

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
	I. रहने की सुविधाएं		
1.	सर्विस अपार्टमेंट - 50	4,647	50 यूनिट x 120 वर्गमीटर
2.	हॉस्टल रूम - 300	6,970	300 यूनिट x 20 वर्गमीटर
3.	अतिथि गृह - 20	2,788	20 यूनिट x 200 वर्गमीटर
	II. स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं		
4.	100 बिस्तर वाला अस्पताल	2,323	10 बिस्तर वाला अस्पताल
	III. शिक्षा की सुविधाएं		
5.	स्कूल, कॉलेज एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	18,587	5000 वर्गमीटर (प्री-प्राइमरी / प्राइमरी / सेकंडरी स्कूल)
	IV. मनोरंजन की सुविधाएं		
6.	फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग एवं गेमिंग सेंटर	5,111	1000 वर्गमीटर (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर)

(iv) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दाहेज में 42 यूनिटें हैं तथा यूनिटों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। निकटतम शहरी नगर वड़ोदरा है जो यहां से 120 किलोमीटर दूर है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने महसूस किया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना का सृजन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए निम्नलिखित सह विकासकों के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल	अनुमोदित मात्रा
1.	कनफ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, ब्रेकआउट एरिया आदि के साथ कुल 600 व्यक्तियों की क्षमता वाला सम्मेलन केन्द्र	25,000 वर्गफीट	25,000 वर्गफीट
2.	100 कमरों वाला होटल, 2 रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, स्वीमिंग पूल आदि	61,000 वर्गफीट	60 होटल रूम सहित 42000 वर्गफीट
3.	कार्यालय स्थान	1,38,400 वर्गफीट	1,38,400 वर्गफीट
4.	150 सर्विस अपार्टमेंट	1,54,200 वर्गफीट	99000 वर्गफीट (90 सर्विस अपार्टमेंट)
5.	जूस बार, योग सेंटर, स्पा, इंडोर स्पोर्ट्स - बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कार्ड रूम, चेस आदि के साथ क्लब	33,300 वर्गफीट	33,300 वर्गफीट

(ख) मैसर्स सप्तगिरि हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गफीट में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गफीट में)
1.	75 गेस्ट रूम होटल, 25 स्टूडियो अपार्टमेंट एवं बिजनेस सेंटर आदि	1,25,000	1,25,000 (75 होटल रूम, 25 स्टूडियो अपार्टमेंट और बिजनेस सेंटर)

2.	24 घंटे कॉफी शॉप एवं स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट	20,000	20,000 (24 घंटे कॉफी शॉप एवं स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट)
3.	हेल्थ क्लब, स्पा, इंडोर रिक्रिएशन, बार / लांज, स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट आदि	39,500	39,500 (हेल्थ क्लब, स्पा, इंडोर रिक्रिएशन, बार / लांज, स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट)
4.	कामर्सियल काम्प्लेक्स / ऑफिसर कॉम्प्लेक्स / रिटेल आउटलेट / शॉपिंग अर्केड	1,25,000	1,25,000 (कामर्सियल काम्प्लेक्स / ऑफिसर कॉम्प्लेक्स / रिटेल आउटलेट / शॉपिंग अर्केड)
5.	कॉन्फ्रेंस / बैंक्वेट / मीटिंग रूम आदि	22,500	22,500 (कन्फ्रेंस / बैंक्वेट / मीटिंग रूम)

(v) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक द्वारा अनुरोध की गई मात्रा के 50 प्रतिशत की सिफारिश की है। आवश्यकता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त समझा गया और तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

(vi) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया कि विकास आयुक्त के कार्यालय तथा निदेशक एसपीटीआई के कार्यालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। विकासक को 12000 वर्गमीटर के कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान तथा 15000 वर्गमीटर के सर्विस अपार्टमेंट के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। विकासक का अनुरोध कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान को 27000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 32000 वर्गमीटर करने के लिए है। (12000 वर्गमीटर का कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान + 15000 वर्गमीटर का सर्विस अपार्टमेंट)। निरीक्षण के बाद महसूस किया गया कि विकासक के लिए विस्तार पर विचार किए जाने से पूर्व विकासक 15000 वर्गमीटर के कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान का विकास करे। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि विकासक चरणों में विकास करने की बजाय एक बार में संपूर्ण स्थान का विकास कर सकता है, तथापि, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	27000 वर्गमीटर के स्थान के बदले में	15000 वर्गमीटर का कामर्शियल कम्प्लेक्स /

		32000 वर्गमीटर (12000 वर्गमीटर का कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान +15000 वर्गमीटर के सर्विस अपार्टमेंट)	कार्यालय स्थान

(vii) पनवेल, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक द्‌वारा अनुरोध की गई मात्रा के 50 प्रतिशत की सिफारिश की है। आवश्यकता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त समझा गया और तद्‌नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

(viii) एपीआईआईसी द्‌वारा महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्‌वारा प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	भाप का उत्पादन एवं वितरण	5 टन / 10.5 वर्ग सेंटीमीटर / सेकंड	5 टन / 10.5 वर्ग सेंटीमीटर / सेकंड
2.	कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण	800 सीएफएम	800 सीएफएम
3.	सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक उपलब्ध कराना	120 केएल	120 केएल
4.	हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण	20000 किलोवाट प्रति घंटा	20000 किलोवाट प्रति घंटा
5.	एयर कंडीशनिंग की सुविधा	1000 टीआर	1000 टीआर
6.	तोल सेतु उपलब्ध कराना	40 टन	40 टन
7.	सामान्य कैंटीन भवन का निर्माण	200 वर्गमीटर	200 वर्गमीटर
8.	यूटिलिटी ब्लाक का निर्माण	675 वर्गमीटर	675 वर्गमीटर

9.	विश्राम कक्ष का निर्माण	340 वर्गमीटर	340 वर्गमीटर
10.	लांड्री की सुविधा	100 वर्गमीटर	100 वर्गमीटर

(ix) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मांगे गए अनुमोदनों के 2 भिन्न ग्रुप हैं - (1) अधिकृत प्रचालनों के लिए और (2) प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए। हालांकि अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार पहले ग्रुप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की, दूसरे ग्रुप के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति निर्णय लेगी।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (प्रसंस्करण क्षेत्र में) (वर्गमीटर में)	अनुरोध की गई मात्रा (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में) (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (प्रसंस्करण क्षेत्र में) (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में) (वर्गमीटर में)
1.	ओपन स्टोरेज यार्ड				
	1. कंटेनर यार्ड	15000	--	15000	--
	2. ओवर डाइमेंशनल कार्गो यार्ड	9500	--	9500	--
	3. खाली कंटेनर यार्ड	4200	--	4200	--
	4. मेंटीनेंस एंड रिपेयर यार्ड	7000	--	7000	--
	5. स्क्रैप यार्ड	5500	--	5500	--
2.	कस्टम गेट कम्प्लेक्स	1000	--	1000	--
3.	परिवहन प्रणाली				
4.	1. बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	3000	--	3000	--
	2. हेलीपैड - 1	5000	--	5000	--
	3. यातायात नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां				
	(i) आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	--	1	--
	(ii) वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर	1	--	1	--

	एवं हार्डवेयर				
5.	मेंटीनेंस एंड रिपेयर शेड	1500	--	1500	--
6.	जन सुविधाएं				
	1. फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं एवं किचन	3000	--	3000	--
	2. शौचालय एवं रेस्ट रूम	1500	150	1500	150
	3. बुनियादी सुविधा स्टोर (ग्रोसरी, स्टेशनरी आदि)	150	500	150	500
7.	प्रशासनिक भवन (शामिल करने के लिए)	--	5000	--	5000
	1. एफटीडब्ल्यूजेड मैनेजमेंट सेंटर	--	--	--	--
	2. विकास आयुक्त का कार्यालय	--	--	--	--
	3. कूरियर कार्यालय	--	--	--	--
	4. बैंक / एटीएम	--	--	--	--
	5. इंटरनेट कैफे	--	--	--	--
	6. टेलीफोन बूथ	--	--	--	--
	7. डाक / तार घर	--	--	--	--
	8. व्यवसाय केन्द्र	--	--	--	--
	9. क्लियरिंग एजेंट, बीमा कंपनियों के लिए कार्यालय	--	--	--	--
	10. स्टेशनरी एवं जीरोक्स की सुविधा	--	--	--	--
	11. पेंट्री एवं कैंटीन	--	--	--	--
	12. डाटा केंद्र	--	--	--	--
	13. पॉली क्लीनिक एवं फार्मेसी	--	--	--	--
8.	सिक्योरिटी, सुरक्षा, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली	5000	100	5000	100
	1. सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क,	12	--	12	--

	निगरानी, निगरानी अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित				
	2. स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	1	--	1	--
	3. अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	--	1	--
	4. निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	--	1	--
9.	वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर	--	--	--	--
	1. गुड्स / कंटेनर ट्रैकिंग / ट्रेसिंग सिस्टम	1	--	1	--
	2. डब्ल्यू एम साफ्टवेयर	1	--	1	--
10.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1500	1000	1500	1000
11.	आवश्यक अनुरक्षण स्टाफ आवास और	--	3000	--	3000
12.	फायर स्टेशन	--	1000	--	1000

(x) मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	मल्टीप्लेक्स	25000	25000

(xi) मैसर्स सिपकॉट द्वारा इरुंगट्टोकोट्टई, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में विकसित किए गए फुटवियर और लेदर उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकृत प्रचालन के अलावा आयातित मशीनरी की एक सूची भी है जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जानी है। अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों तथा आयातित मशीनरी की सूची के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	3626	3626
2.	वर्कशॉप एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण	7216	7216
3.	क्लासरूम, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा व्याख्यान थिएटर आदि का निर्माण	3564	3564
4.	डिजाइन स्टूडियो, कैड-कैम सुविधाओं का निर्माण	600	600
5.	ऑडिटोरियम का निर्माण	1210.33	1210.33
6.	पुस्तकालय एवं कंप्यूटर केन्द्र का निर्माण	1300	1300
7.	छात्रावासों का निर्माण	9163	9163
8.	स्टाफ क्वाटरों एवं आवासीय ब्लाकों का निर्माण	7407	7407
9.	एसटीपी तथा अन्य यूटिलिटीज	490	490
10.	इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन, डीजल जेनरेटर सेट आदि का संस्थापन एवं अधिष्ठापन	--	--
11.	आईटी उपकरणों, डेस्क टॉप, सर्वर, स्विच, स्टोरेज डिवाइस तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का प्रापण एवं संस्थापन	--	--
12.	वर्कशॉप तथा प्रयोगशालाओं के लिए मशीनों एवं उपकरणों का प्रापण एवं संस्थापन	--	--
13.	फर्नीचर, फिक्सचर तथा एयर कंडिशनिंग की सुविधाएं	--	--

(xii) भड़ूच जिला, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबिलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच करने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचालन अवसंरचना की प्रकृति के हैं अथवा प्रभार्य सेवा की प्रकृति के हैं। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया तथा अनुमोदन बोर्ड का सचिवालय निर्णय के लिए फाइल पर प्रस्ताव की जांच करेगा।

(xiii) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित के अधीन अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;
2. उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और
3. नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	हॉस्पिटल	4,010	4,010 (60 बिस्तर)
2.	कैंटीन	49	49
3.	फार्मेसी	13	13

(xiv) हिंजेवाडी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हिंजेवाड़ी इलाका बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है और पर्याप्त मात्रा में सामाजिक अवसंरचना पहले से उपलब्ध है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासक द्वारा प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से आवश्यकता का आकलन करने तथा इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड को सूचित करने का निदेश दिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	विकासक के स्टाफ के लिए प्रशासनिक स्थान	640	640
2.	पुस्तकालय	611	611

3.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	1806	1806
4.	एटीएम (प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रयोग के लिए)	22	22
5.	बिजनेस एवं कनवेंशन सेंटर (इन हाउस)	870	870

(xv) एमएडीसी द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	एयर कंडीशनिंग स्पेस	620000	620000
2.	कैप्टिव प्रयोग के लिए बैकअप आदि के लिए विद्युत एवं अन्य अवसंरचना	4,800 (1200 प्रत्येक के 4 फेज में)	4,800 (1200 प्रत्येक के 4 फेज में)
3.	रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग सुविधाएं, कैफेटेरिया एवं फूड कोर्ट सहित फूड सेवाएं	20,000 (5000 प्रत्येक के 4 फेज में)	20,000 (5000 प्रत्येक के 4 फेज में)
4.	एटीएम	100 (कुल 3 एटीएम)	100 (कुल 3 एटीएम)
5.	क्लब हाउस	6,000	अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि विकासक के संबंध में एक क्लब हाउस पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

(xvi) कीरांथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह क्षेत्र मुख्य कोयंबटूर शहर से दूर है और तद्नुसार सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित अधिकृत प्रचालन**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	75000	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	75000
2.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	50000	कामर्शियल कम्प्लेक्स / बिजनेस सेंटर / कनवेंशन सेंटर, कामर्शियल कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान / रिटेल / कामर्शियल	20000
3.	व्यवसाय केन्द्र / सम्मेलन केन्द्र	5000	उपर्युक्त क्रमांक 2 के अनुसार	
4.	कम्युनिटी हाल	1000	कम्युनिटी हाल	1000
5.	फूड कोर्ट	1000	फूड कोर्ट	1000
6.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	15000	उपर्युक्त क्रमांक 2 के अनुसार	
7.	यूटिलिटीज, गार्ड हाउस	1000	यूटिलिटीज, गार्ड हाउस	1000
8.	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	1000	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	1000
9.	रिटेल / कामर्सियल	15000	उपर्युक्त क्रमांक 2 के अनुसार	

(xvii) गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गुड़गांव में पहले से ही अनेक होटल हैं और इसलिए एक और होटल पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	होटल (100 कमरे + 50 सुइट)	37000	अनुमोदित नहीं
2.	सर्विस अपार्टमेंट (200 यूनिटें)	19000	9500 (100 यूनिट)
3.	आवासीय भूखंड (12)	7 x 600 वर्गमीटर 5 x 300 वर्गमीटर	विकास आयुक्त, एनएसईजेड निरीक्षण करें और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4.	वाणिज्यिक स्थान	2800	2800

मद संख्या 37.6 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) शेंद्रे, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध उद्योग से बदलकर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक सेक्टर करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने शेंद्रे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम संबद्ध उद्योग" से बदलकर "इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स" करने के लिए लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

(ii) माहेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ब्रांडेड उत्पादों, लग्जरी तथा लाइफ स्टाइल उत्पादों को शामिल करके सेक्टर का नाम परिवर्तित करने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक द्वारा अनुरोध किए गए उत्पादों को शामिल करने पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(iii) भागन तथा कुरार इब्राहिमपुर गांव, मुर्थल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर इंजीनियरिंग से बदलकर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद क्षेत्र करने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "इंजीनियरिंग" से बदलकर "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद" करने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) कीरांथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर शामिल करके सेक्टर के परिवर्तन के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस" से बदलकर "आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" करने के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) कल्याणगढ़ और गंगड़ गांव, बावला तालुक, जिला अहमदाबाद में फर्मास्युटिकल्स के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में फाइन केमिकल शामिल करके सेक्टर परिवर्तित करने के लिए मैसर्स डिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "फर्मास्युटिकल" से बदलकर "फर्मास्युटिकल एवं फाइन केमिकल" करने के लिए मैसर्स डिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.7 : नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) नाम परिवर्तित करके मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नाम परिवर्तित करके मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स जे. मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जे. मातादी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स जे. मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जे. मातादी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.8 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी गांव, मुल्शी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक भाग को विमुक्त करने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह एसईजेड 11.7943 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 03 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 0.2201 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की थी, जो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। वर्तमान प्रस्ताव में विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1.8818 हेक्टेयर के भाग को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.1326 हेक्टेयर हो जाएगा। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 1.8818 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(ii) चिपाडा गांव, भिमिली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 105.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 9.29 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 114.786 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 6.435 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.475 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(iv) हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव पर विचार करते समय सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि बेहतर होगा कि विकासक विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल के संबंध में प्राप्त किए गए लाभों सहित लेखा को अलग करे ताकि बकायों की वसूली सरल हो सके। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 3.15 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 22.30 हेक्टेयर

हो जाएगा, के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(v) काडुबीसंथाली गांव, वर्थुर हुबली तालुक, जिला बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सेसना गार्डन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 0.807773279 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.990668037 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स सेसना गार्डन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(vi) माहेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 11.93 हेक्टेयर (29.49 एकड़) भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 69 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(vii) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने तथा एक अंश को शामिल करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बताया कि कुछ आरटीआई आवेदन सहित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में विकासक से जुड़े कुछ मुद्दे हैं और इसलिए वह स्पष्ट रूप से सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(viii) माधापुर, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक द्वारा विमुक्तीकरण के अनुरोध को वापस ले लिया गया है।

(ix) बोम्मासांद्रा - जिगानी लिंक रोड औद्योगिक क्षेत्र, अनेकल तालुक, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 0.56 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 34.99 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

मद संख्या 37.9 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) नवलाखुंब्रे गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स हेलियोस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है क्योंकि आईटी सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण के अधीन सहमत हुआ कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, लौटा दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 37.10 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि एसईजेड की सभी 4 यूनिटों ने एसईजेड से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इन यूनिटों को उन सभी शर्तों के अधीन बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की गई है जिनमें एसईजेड योजना के अंतर्गत लाभों को लौटाना शामिल है। अत: एसईजेड के लिए परिकल्पित निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। विकासक ने एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए सभी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि रिफंड के संबंध में सारवान मुद्दे हैं जिन पर उनके विभाग में विचार विमर्श की आवश्यकता है। तद्नुसार, उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्व विभाग प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने से पूर्व अपने क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा। विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकास आयुक्त तथा राजस्व प्राधिकारी यह कार्य करेंगे और विमुक्तीकरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष परिणाम प्रस्तुत करेंगे।

(ii) सर्वेक्षण संख्या 169, आरेय मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वेक्षण संख्या 169, आरे मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) जामिन पल्लावरम गांव, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एसएनपी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने विमुक्तीकरण के लिए अनुरोध को वापस ले लिया है।

मद संख्या 37.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की तीसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 11 प्रस्तावों पर विचार किया तथा विकासकों द्वारा व्यक्त की गई विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा एसईजेड नियमावली के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदनों के संबंध में तीसरी बार अवधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें कुछ समय लग सकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इन विकासकों द्वारा फार्म 'ए' दाखिल करने तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें भी प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि समाप्त

होने की तिथि से नए सिरे से अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने इंगित किया कि अब से बोर्ड सचिवालय अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए इन मामलों को नहीं लाएगा और नए सिरे से फार्म ए भराने के बाद और राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन के पहले और दूसरे विस्तार के मामलों की तरह उनको प्रोसेस करेगा।

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्रफल	एसईजेड का लोकेशन
1.	मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1620.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा
2.	मैसर्स क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड	180 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग क्षेत्र	रायगढ़, महाराष्ट्र
3.	इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड	108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टील उत्पाद	भुज जिला, गुजरात
4.	इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
5.	मैसर्स ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग जोन प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूपीएल)	80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
6.	मैसर्स श्रीओमजी डवलपर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोमेटिव क्षेत्र	फारुखनगर, गुड़गांव, हरियाणा
7.	मैसर्स छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	रायपुर, छत्तीसगढ़
8.	मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल	लुधियाना, पंजाब
9.	मैसर्स नांदेड़ रत्न एसईजेड लिमिटेड	50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	नादेड़, महाराष्ट्र
10.	गांधी सिटी फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डवलपमेंट लिमिटेड	404.6873 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सर्विस सेक्टर	रामनगरम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक
11	रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल)	5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	गुड़गांव, हरियाणा

मद संख्या 37.12 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) नागपुर, महाराष्ट्र में 1000 के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नागपुर मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स औरंगाबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त दोनों मामलों में सैद्धांतिक अनुमोदन के पहले विस्तार के लिए अनुरोध एलओए की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए थे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विकासकों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.13 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिस समय एसईजेड अनुमोदित किया गया था उस समय भी स्पष्ट रूप से पता था कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में एक गोल्फ कोर्स है जो प्रसंस्करण क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है। हालांकि एक भाग में फाटक है, दूसरे भाग के संबंध में दूसरा फाटक लगाने के लिए अनुरोध किया गया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड को एसईजेड का निरीक्षण करने तथा अतिरिक्त गेट के प्रावधान के संबंध में बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

मद संख्या 37.14 : बाड़ा बंगार्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मान इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि का भी अधिग्रहण नहीं कर पाया है। इसके अलावा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि भी विवादित प्रतीत होती है। इनको ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मान इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का निर्णय लिया।

मद संख्या 37.15 : 136.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वल्लूर गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जाफजा चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास को इस धारणा के तहत 19 अक्टूबर 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था कि 136 एकड़ भूमि पर विकासक का कब्जा है। तथापि, अधिक विशिष्ट सूचना मंगाने पर विकासक ने बताया कि उन्होंने केवल 23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार भी विकासक के कब्जे में भूमि का स्पष्ट स्टेटस प्रदान नहीं कर सकी। विकासक ने अनुमोदन बोर्ड को यह दलील दी कि वे पर्याप्त मात्रा में भूमि का अधिग्रहण कर चुके हैं। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के संबंध में निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा इंगित किया कि विकासक तीन माह की अवधि के अंदर भूमि प्रापण की प्रक्रिया पूरी करे तथा ऐसा न होने पर उनको प्रदान किया गया अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।

मद संख्या 37.16 : एसईजेड स्थापित करने के संबंध में केरल से प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि केरल में एसईजेड के संबंध में लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2103 के जवाब को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आश्वासन के रूप में लिया गया है क्योंकि केरल में एसईजेड के लिए 15 प्रस्ताव इसलिए लंबित हैं कि अपेक्षित स्पष्टीकरण / दस्तावेज / राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। अत: यह दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया कि केवल ऐसे मामलों को लंबित मामला माना जा सकता है जो हर दृष्टि से पूर्ण हैं और जिन पर विकासक से या राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण / दस्तावेज आदि अपेक्षित नहीं है तथा ऐसे मामलों को लंबित मामला नहीं मानना होगा जिनमें विकासक से या राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण / दस्तावेज आदि अपेक्षित हैं। ऐसा दृष्टिकोण आश्वासन को पूर्ण करने में मदद करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने इस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

मद संख्या 37.17 : सूरत एसईजेड द्वारा भूखंडों को निरस्त करने के संबंध में शिकायतें

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि न्यायालय के निर्णयों तथा अन्य संगत इनपुट को ध्यान में रखते हुए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा इन मामलों का समाधान किया जाना है।

मद संख्या 37.18 : मिधानी के लिए यूनिट द्वारा किए गए जॉब वर्क के लिए भारतीय रुपए में मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, एसईजेड यूनिट को भुगतान करने के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), डीटीए में रक्षा पीएसयू का अनुरोध

इस बात पर सहमति हुई कि इस संबंध में प्रस्ताव राजस्व विभाग के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

मद संख्या 37.19 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज, जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

यूनिट की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने 31 अगस्त 2009 से पांच साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि यूनिट चरणबद्ध ढंग से भौतिक निर्यात शुरू करे।

(ii) मैसर्स फ्लैक्स अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, जो केएएसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता के नवीकरण के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एलओपी का नवीकरण करते समय विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुराने एवं प्रयुक्त गारमेंट की रिप्रोसेसिंग से संबंधित मद को छोड़कर सभी मदों को मंज़ूरी प्रदान की थी, जो एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, अनुमोदन बोर्ड ने केएएसईजेड में फटे पुराने / प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली सभी यूनिटों के एलओपी को 2008 में 5 साल के लिए नवीकृत किया था एवं मंज़ूरी प्रदान की थी। तथापि, यह यूनिट उस सूची में शामिल नहीं थी क्योंकि इसने बकाया किराए का भुगतान नहीं किया था। बाद में यूनिट ने बकाया किराए का भुगतान किया तथा विकास आयुक्त ने अब नवीकरण के लिए मामले की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स फ्लैक्स अपैरल प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी के नवीकरण के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 37.20 : विद्युत दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व अनुमोदित विकासकों / सह विकासकों पर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण दिशानिर्देश की प्रयोज्यता

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विद्युत दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद, जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे, पावर प्लांट यूनिट के रूप में केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि दो आवेदकों अर्थात मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड को प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में बने रहने की अनुमति प्रदान की जाती है तो विद्युत सुविधाएं जिन्हें प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित करने की मांग की जा रही है, लाभप्रद नहीं होंगी। अत: विद्युत दिशानिर्देशों की समीक्षा करना उपयुक्त हो सकता है ताकि नीति के कार्यान्वयन में एकरूपता हो सके। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि (क) एसईजेड अधिनियम की धारा 6 की सही से व्याख्या करने, (ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत का व्यापार नहीं किया जा सकता है, एनएफई की प्रयोज्यता (ग) विद्युत यूटिलिटीज की देयता का निर्धारण करने के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से विद्युत दिशानिर्देशों की समीक्षा करना आवश्यक है।

****